

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 732]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 28, 2008/ज्येष्ठ 7, 1930 NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 28, 2008/JYAISTHA 7, 1930

No. 732]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मई, 2008

का,आ. 1246(अ).—खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 28 मई, 2008 को उस दिन के रूप में नियत करती है जिसका उक्त अधिनियम की धारा 3 और धारा 30 के उपबंध लागू हो जायेंगे।

[फा. सं. पी-15025/14/2008-डी एफ क्यू सी]

देबाशीष पण्डा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th May, 2008

S.O. 1246(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Central Government hereby appoints the 28th day of May, 2008, as the day on which the provisions of Section 3 and Section 30 of the said Act shall come into force.

[F. No. P-15025/14/2008-DFQC]

DEBASISH PANDA, Jt. Secy.